पत्रांक–11 / चक0 मु0(क्षे0 अभि0 शिफ्ट)–17–10 / 2023.......912....... / चक0

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(चकबंदी निदेशालय)

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक, चकबंदी
बिहार, पटना।

सेवा में,

अपर समाहर्त्ता–सह–उप निदेशक,
चकबंदी, कटिहार / किशनगंज / मुजफ्फरपुर,
के0यो0 / रा0यो0 (गया) / सीतामढ़ी / समस्तीपुर /
सहरसा / पूर्णियाँ / सिवान / पश्चिमी चम्पारण (बेतिया) /
वैशाली (हाजीपुर)
सहायक निदेशक, चकबंदी, भागलपुर

पटना, दिनांक 12/09/2023 /

विषयः– **चकबंदी कार्यालयों के अभिलेखों को संबंधित उप निदेशालय, चकबंदी में स्थानान्तरित करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके क्षेत्रान्तर्गत चकबंदी कार्यालयों के महत्त्वपूर्ण अभिलेख जीर्ण–शीर्ण अवस्था में होने के साथ चकबंदी कार्यालय के कर्मियों द्वारा बिहार सरकार के खाते एवं रैयती खाते की जमीन में कुटलेखन करने की सूचना प्राप्त हो रही है। उदाहरणस्वरूप चकबंदी कार्यालय, डिहरी (रोहतास), इटाढ़ी / डुमराँव (बक्सर) के चकबंदी अभिलेखों में कुटलेखन की घटना हुयी है।

इसके मद्देनजर चकबंदी कार्यालयों के सभी अभिलेखों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से आपके पर्यवेक्षण में स्कैनिंग एवं डिजिटाईजेशन का कार्य कराया जाना आवश्यक है, जिसके लिए सभी चकबंदी कार्यालयों के महत्त्वपूर्ण अभिलेखों को डिजिटाईजेशन कार्य के दृष्टिगत संबंधित उप निदेशालय, चकबंदी स्थित कार्यालय में स्थानान्तरित करने की आवश्यकता है, जिसमें निम्न कार्रवाईयाँ इस प्रकार की जानी है :–

1. चकबंदी कार्यालयों से अभिलेखो के उठाव के साथ उप निदेशालय में अंतिम रूप से अभिलेख जमा करने की तिथि तक किसी एक कर्मी को विधिवत प्रतिनियुक्त की जाय।
2. प्रत्येक चकबंदी कार्यालयवार सभी अभिलेखों से संबंधित इनवेन्ट्री पंजी में संधारित की जाय, जिसमें उस कार्यालय के विभिन्न प्रकारों के सभी अभिलेख सूचीबद्ध होंगे।
3. चकबंदी कार्यालय से अभिलेखों के उठाव / शिफ्टिंग कार्य के साथ–साथ चकबंदी कार्यालयवार अभिलेखों की संख्या के अनुसार रैक इत्यादि की व्यवस्था करने हेतु आवंटन की मांग की जाय।

अतएव निदेशित किया जाता है कि उपर्युक्त कार्यों को दिनांक 30.09.2023 तक सम्पादन करते हुए विस्तृत प्रतिवेदन चकबंदी निदेशालय को उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन

12/9/23

(जय सिंह)
निदेशक, चकबंदी
बिहार, पटना।